निग0 5997/2018/सतना/भू-रा0 (28/31)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल खण्डपीठ, रीवा (म0प्र0)

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित / विलोपित

+20=30

अधि0 श्री लालबहादुर सिंह द्वारा पेश 1-10-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1. श्री सुखनन्दन तनय स्वामीदीन
2. श्री रामनरेश तनय स्वामीदीन
3. श्रीमती दुनिया पत्नी स्वामीदीन
4. श्रीमती कैलाशिया पुत्री स्वामीदीन
5. श्रीमती लक्ष्मीनिया पुत्री स्वामीदीन
6. श्री जोखू तनय बुद्धसेन

सभी निवासी—ग्राम खरमसेड़ा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0) ....**आवेदकगण**

बनाम

श्री भगवानदीन पटेल तनय कालू पटेल, निवासी—ग्राम खरमसेड़ा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

..............**प्रतिवादीगण / अनावेदकगण**

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 ई0।

XXIX(a)-BR(H)-11

रेड्यूशन | कम्पल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(17)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5997/2018/सतना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/2/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लाल बहादुर सिंह के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण इस न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन को अदम पैरवी में खारिज किए गए आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। रेस्टोरेशन में अदम पैरवी में खारिज किए गए आदेश के विरुद्ध निगरानी किस प्रकार प्रचलन योग्य है, उक्त संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई तर्क या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। उक्त आधारों पर यह निगरानी प्रचलनयोग्य न होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। 6/2/19 **सदस्य**	